

प्रपत्र- 2.15

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितौली पुल से गुरगुच्चा प्रा० पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक.....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वनभूमि तथा नापभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित पेड़

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

₹0/-

राजि अधिकारी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

बाले प्रवर.

महाराष्ट्र

~~५~~

बन विभागाध्यक्ष
हरमधर धन शेर
गणेशधर धन धर

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(1)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क स	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	गुरगुच्चा	बक	-	8	24	-	-	-	-	-	-	-	32
		चौड	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
		सफ	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	7
		जामुन	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		योग		11	29	3	-	-	-	-	-	-	43

ह0/-

तहसीलदार/उपजिलाधिकारी(राजि अधिकारी)

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी
हरमघर वन प्रभाग,
नारेश्वर.

श्री. फि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नारेश्वर

उप वनाधिकारी
हरमघर वन प्रभाग,
नारेश्वर

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(2)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितौली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क स	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
(1)	गुरगुच्चा	चीड़	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
		बाँज	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		फल्गु	-	2	7	10	4	1	-	-	-	-	24
		साँड़	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	पहलौबाँव	चीड़	-	-	15	7	3	-	-	-	-	-	25
		बाँज	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5
		योग	-	6	26	21	7	2	-	-	-	-	62

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/-

तहसीलदार

ह0/-



(राजि अधिकारी)

ह0/-

(प्रभागीय वनाधिकारी)
बागेश्वर

ह0/-

(सरपंच)

(प्रभागीय वनाधिकारी)
बागेश्वर

(सरपंच)
बागेश्वर

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(3)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा० पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
①	गुरगुच्चा	वाक	-	4	3	6	1	2	-	-	2		18
		फलभार		-	2	-	-	-	-	-	-		2
		काम		5	13	4	6	2	-	-	1		33
		दुने		-	-	-	-	1	-	-	-		3
		चीड़		4	2	9	2	-	-	-	-		17
		लिमिल		-	-	1	1	1	-	-	-		3
		झाबरीट		1	1	-	-	-	-	-	-		2
		साइन		2	14	-	-	-	-	-	-		16
		जामुन		1	-	-	-	-	-	-	-		1
		कवचल		1	5	-	-	-	-	-	-		6
		बगडि		2	1	-	-	-	-	-	-		3
		महुल		-	-	-	-	-	-	-	-		1

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

योग 105

ह०/-

ह०/-

ह०/-

तहसीलदार

(राजि अधिकारी)

प्रभागीय वनाधिकारी
(प्रभागीय वनाधिकारी)
बानेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बानेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बानेश्वर वन क्षेत्र
बानेश्वर वन क्षेत्र

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

खितौली पुल से प्रा0पा0 गुरगुच्चा तक मोटर मार्ग निर्माण लं0 3 किमी तथा चौ0 9 मी0 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची/आउटटर्न ।

क0 सं0	वन क्षेत्र का नाम	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष गोलाई व्यास सेमी0 में	गुण श्रेणी	वृक्ष सं	निर्धारित आयतन	कुल आयतन	दर	धनराशि
1	गुरगुच्चा वन पंचायत	चीड़ हरा खड़ा	10-20	III	4	0	0	231.00	924.00
			20-30	III	1	0.184	0.184	471.00	471.00
		बांज हरा	50-60	III	1	2.453	2.453	3484.00	3484.00
		फल्यांट	10-20	III	2	0	0	154.00	308.00
			20-30	III	7	0.32	2.24	747.00	5229.00
			30-40	III	10	0.809	8.09	1492.00	14920.00
			40-50	III	4	1.519	6.076	2105.00	8420.00
			50-60	III	1	2.453	2.453	3484.00	3484.00
		सादन	10-20	III	2	0	0	218.00	436.00
			20-30	III	4	0	0	154.00	616.00
2	गुरगुच्चा नाप	बांज	20-30	III	3	0.32	0.96	747.00	2241.00
			30-40	III	6	0.809	4.854	1492.00	8952.00
			40-50	III	1	1.519	1.519	2105.00	2105.00
			50-60	III	2	2.453	4.906	3484.00	6968.00
			80 से ऊपर	III	2	6.587	13.174	8088.00	16176.00
		फल्यांट	10-20	III		0	0	154.00	0.00
			20-30	III	2	0.32	0.64	747.00	1494.00
		आम	10-20	III	5	0	0	154.00	770.00
			20-30	III	13	0.113	1.469	747.00	9711.00
			30-40	III	4	0.227	0.908	1492.00	5968.00
			40-50	III	6	0.368	2.208	2105.00	12630.00
			50-60	III	2	0.566	1.132	3484.00	6968.00
			60-70	III	2	0.85	1.7	5973.00	11946.00
			70-80	III		1.113	0	8088.00	0.00
			80 से ऊपर	III	1	1.557	1.557	8088.00	8088.00
		तुन	50-60	III	1	0.566	0.566	22679.00	22679.00
			70-80	III	2	1.113	2.226	33594.00	67188.00
		चीड़	10-20	III	4	0	0	231.00	924.00
			20-30	III	2	0.184	0.368	471.00	942.00
			30-40	III	9	0.694	6.246	1873.00	16857.00
			40-50	III	2	1.502	3.004	4325.00	8650.00
		तिमिल	30-40	III	1	0.227	0.227	1492.00	1492.00
			40-50	III	1	0.368	0.368	2105.00	2105.00
			50-60	III	1	0.566	0.566	3484.00	3484.00
		अखरोट	10-20	III	1	0	0	154.00	154.00
			20-30	III	1	0.113	0.113	747.00	747.00

		सादन	10-20	III	2	0	0	218.00	436.00
			20-30	III	14	0.113	1.582	911.00	12754.00
		जामुन	10-20	III	1	0	0	248.00	248.00
		क्वैराल	10-20	III	1	0	0	154.00	154.00
			20-30	III	5	0.113	0.565	747.00	3735.00
		खड़िक	10-20	III	2	0	0	154.00	308.00
			20-30	III	1	0.37	0.370	747.00	747.00
		मेंहल	20-30	III	1	0.37	0.370	747.00	747.00
3	गुरगुच्चा सिविल	चीड़	20-30	III	1	0.184	0.184	471.00	471.00
			30-40	III	1	0.694	0.694	1873.00	1873.00
		बांज	10-20	III	8	0	0	154.00	1232.00
			20-30	III	24	0.32	7.68	747.00	17928.00
		सादन	10-20	III	2	0	0	218.00	436.00
			20-30	III	3	0.113	0.339	911.00	2733.00
			50-60	III	2	0.566	1.132	6066.00	12132.00
		जामुन	10-20	III	1	0	0	218.00	218.00
			20-30	III	1	0.113	0.113	1036.00	1036.00
4	पल्सों वन पंचायत	चीड़	10-20	III		0	0	231.00	0.00
			20-30	III	15	0.184	2.76	471.00	7065.00
			30-40	III	7	0.694	4.858	1873.00	13111.00
			40-50	III	3	1.502	4.506	4325.00	12975.00
		बांज	20-30	III	1	0.32	0.32	747.00	747.00
			30-40	III	4	0.809	3.236	1492.00	5968.00
	योग -				210		98.916		354585.00

नय प्रशासीय वनाधिकारी
कार्येश्वर

प्रशासीय वनाधिकारी,
कार्येश्वर वन प्रभाग,
बायेश्वर.

नय प्रशासीय वनाधिकारी
कार्येश्वर वन क्षेत्र
बायेश्वर वन प्रभाग

नय प्रशासीय वनाधिकारी
कार्येश्वर वन क्षेत्र
बायेश्वर वन प्रभाग

प्रपत्र- 2.15(5)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरुगुच्चा प्रा० पाठशाला तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाना है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 210 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 210 वृक्षों का पातन किया जाना है।

ह0/-
अभिषेक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-
राजि अधिकारी

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
कपकोट

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
कपकोट

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
कपकोट

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र- 2.15(6)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बालीघाट-धरमघर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्रा0 पाठशाला तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाना है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों की कुल मूल्य रुपये..
.....354585.00.....आंकलित किया जाता है।

ह0/-

राजि अधिकारी


वन प्रभागीय वनाधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
उत्तराखण्ड


वन प्रभागीय वनाधिकारी
धरमघर

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी


प्रभागीय वनाधिकारी
धरमघर वन क्षेत्र
उत्तराखण्ड

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।